संख्या-10/2299/71-1-2014-ए-2/2006टी0सी0

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र राय
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 22 सितम्बर, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के निर्माण कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु वित्तीय स्वीक़ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2013/104, दिनॉक 13-05-2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 4,97,40,79,000/- (रू0 चार अरब सत्तानबे करोड़ चालीस लाख उन्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु वृहद निर्माण कार्य के मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/- (रू0 पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीक़ति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीक़त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कास्ट ओवर रन/टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न् न हो।
3- प्रायोजना में प्रस्तावित प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-07-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
8- प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में

http://shasanadesh.up.nic.in

यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/ प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-51-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2149/दस-2014, दिनॉक 19 सितम्बर 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है

भवदीय

(सुभाष चन्द्र राय)
विशेष सचिव

संख्या:-10/2299(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, आजमगढ़।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in